पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण मॉडयूल

© इक्विटी फाउन्डेशन

EQUITY FOUNDATION
A Forum for Women and Child

मॉडयूल 1

पंचायती राज संस्थाओं में महिला–नेतृत्व को बढ़ावा देना

भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता की गारंटी और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है। ये उसमें प्रतिस्थापित मौलिक अधिकार हैं (उदाहरण के तौर पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार, स्वतंत्रता से मत–पंथ चुनने का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक अधिकार)। इससे यह बात साफ है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है।

लेकतंत्र के विस्तार के लिए अधिक से अधिक लोगों को शासन और राजनैतिक फैसले लेने में शामिल करने के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सबसे छोटे स्तर पर स्वशासन को सहयोग और समर्थन देना होता है। भारत के कई राज्यों में धीरे–धीरे प्रजातांत्रिक व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हुआ है और शासन–तंत्र को छोटी इकाई या यूं कहें कि इसे राज्य सरकार से स्थानीय सरकार (पंचायती राज संस्था, पीआरआई) की ओर किया गया है। तथापि अलग–अलग राज्यों में पंचायती राज्य संस्थाओं का शासन और उसकी रूपरेखा अलग–अलग है। अंततः 1992 में भारत में संविधान का 73वां संशोधन हुआ, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। भारत में पंचायतों का सफर यहां की संस्कृति से शुरू होकर भारत के संविधान तक पहुंचा है। संवैधानिक मान्यता मिलने से पंचायत राज संस्थाएं स्वशासन में मददगार साबित हो रही है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को विकेन्द्रीकृत शासन में विशेष जगह और अवसर दिय गये हैं।

कई निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए, उनके पंचायत का कार्यकाल शायद उनके अपने घर के बाहर एक चुनौती हो सकती है। इस मॉड्यूल में, पंचायती राज प्रणाली के परिदृश्य के साथ–साथ, शासन में महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

उद्देश्य

1. संविधान के 73वें संशोधन की मुख्य विशेषताओं पर और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व के उद्भव पर चर्चा करना।
2. शासन प्रणाली में महिला नेतृत्व मजबूत बनाने के लिए अवसरों का विश्लेषण करना।

सत्र की योजना (2 सत्र, 180 मिनट)

सत्र	सत्र शीर्षक	उप–अध्याय	अपेक्षित परिणाम	प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण सामग्री
1.1	पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन में महिलाएं	• संविधान का 73वां संशोधन • राज्य पंचायती राज अधिनियम और पेसा। • पंचायती राज संस्थाओं के कार्य • ग्राम सभा • महिलाओं की भागीदारी मजबूत बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका	महिलाओं की भागीदारी मजबूत बनाने में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, राज्य पंचायती राज अधिनियम PESA और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की बेहतर समझ सहभागियों को हो जानी चाहिए।	• चार्ट और प्रस्तुतियों के साथ सत्र • विचारोत्तेजना के लिए अहम सवाल उठाए जाना	• पंचायती राज संस्था और PESA से जुड़े काम पर पठन सामग्री, अधिनियम • प्रेरक गीत

प्रशिक्षकों के लिए सुझाव

इस मॉड्यूल से सहभागियों को जेंडर संबंधी मुद्दों के माध्यम से देश में पंचायती राज व्यवस्था का विवरणी देना है। अधिनियम के बारीक विवरण पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है क्योंकि यह मॉड्यूल मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के अवसरों और उनकी भूमिका पर है। 73वें संविधान संशोधन का विवरण हैन्डआउट्स में दिया गया है। सत्र के बाद सहभागियों को इन विवरणों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करें। सत्र के दौरान ही ज्यादा से ज्यादा समय महिलाओं के लिए प्रावधानों के लिए प्रावधानों और महिलाओं के अवसरों को मुख्यधारा में लाने की कार्यनीति पर चर्चा हो सकती है।

सत्र 1.1 पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन में महिलाएँ

सामान्य परिचयः–73वां संविधान संशोधन देश में एक ऐतिहासिक विधान है। इस सत्र में कानून के खास प्रावधानों को समझने के लिए बुनियादी ढ़ाँचा तैयार किया गया है। साथ ही साथ शासन में महिलाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है।

सत्र के मुख्य बिन्दुओं पर प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित करें।

सत्र के मुख्य बिन्दु–

- 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं
- राज्य पंचायती राज अधिनियम और PESA
- ग्राम सभा
- पंचायती राज संस्थाओं के कार्य–कलाप
- महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं

गतिविधि 1:

प्रतिभागियों से पूछें–

- 73वां संविधान संशोधन और इसकी प्रमुख विशेषताएं।
- यह महिलाओं के लिए कैसे उपयोगी है?

सहभागियों की प्रतिक्रिया को लेकर जवाबों की सूची तैयार करें। इसे सभी सहभागियों को दिखाकर उसपर बातचीत करें। **हैण्डआउट 1.1 ''73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ'' का प्रयोग करें।**

73वां संविधान संशोधन

- विकास योजनाओं को मंजूर करने और कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभा एक ग्राम संसद है।
- पंचायत की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण (एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित)
- गठन के बाद पंचायत का कार्यकाल पांच साल का होगा।
- हर पांच साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन होगा।
- मतदाता–सूची की तैयारी का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और पंचायतों के चुनाव का आयोजन।
- ग्यारहवीं अनुसूची में 29 मामलों/विषयों की सूची।
- निर्वाचित सदस्य के बदले किसी और की भागीदारी। (फैसले लेने और पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह किसी और की भागीदारी)। महिला प्रतिनिधियों को बैठकों में खुद भाग लेना चाहिए और दूसरों को अपनी ओर से भाग लेने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए।

राज्य के पंचायती राज अधिनियम और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम **PESA** की मुख्य विशेषताएं

गतिविधि 2:

राज्य के पंचायती राज अधिनियम और PESA अधिनियम पर बातचती करें। **हैण्डआउट 1.2 और 1.3 ''राज्य पंचायत अधिनियम'' और ''पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996–प्रावधान'' का प्रयोग करें। (देखें–अनुलग्नक 4)**

राज्य पंचायती राज अधिनियम और PESA अधिनियम की प्रमुख अविशेषताएँ

PESA अधिनियम की खास बात है कि ये जनजातीय समुदाओं को अच्छे मूलभूत स्वशासन का अधिकार देता है। प्राकृतिक संसाधन ही आदिवासी समुदाय की जीवन–रेखा होती है और इसी को सुरक्षित रखने को बेहतर समझ PESA के माध्यम से दी जाती है।

ग्राम सभा

गतिविधि 3:

सहभागियों से ग्राम सभा के बारे में पूछें

- ग्रामसभा क्या हैं?
- ग्रामसभा में प्रतिभागी कौन–कौन हैं?
- ग्राम सभा में महिलाओं की भूमिका क्या है?

- ग्राम सभा के अधिकार और काम क्या हैं?
- ग्राम सभा में आप किन मुद्दों पर बात करते हैं?
- ग्राम सभा में महिलाओं के विकास के मुद्दों को मुख्य धारा में लाना।

(सभी उत्तरों पर ध्यान दें और उस पर अपनी राय जोड़ें) हैन्डआउट 1.4 ''ग्राम सभा' का प्रयोग करें।

ग्राम सभा का सार

- ग्रामसभा गांवों के लिए विकास योजना के लिए और उनके कार्यान्वयन की देखरेख करनेवाली बुनियादी संस्था है।
- गांव में रहनेवाले और मतदाता सूची में शामिल 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं।
- महिलाएँ ग्रामसभा की कोरम का अविभाज्य अंग हैं।
- ग्रामसभा के पास योजना और बजट की शक्ति और अधिकार हैं, साथ ही साथ इसके तहत किए जानेवाले कामों पर निगरानी, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान और सामाजिक संसाधनों पर नियंत्रण का भी अधिकार है।
- वार्षिक विकास योजनाएँ, बजट अनुमानक और महिलाओं के विकास से जुड़े मुद्दों के अनुमोदन का अधिकार।

पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यकलाप और उनमें महिलाओं की भूमिका

गतिविधि 4:

तीन स्तरों (गांव, ब्लॉक और जिला पंचायतों) पर पंचायती राज संस्थाओं अर्थात् पीआरआई के काम के बारे में सहभागियों से सवाल पूछें। जवाबों की सूची बनाकर उसपर अपनी राय दें। **हैंडआउट 1.5 ''पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली'' का उपयोग करें।**

पंचायती राज संस्थाओं के बुनियादी काम का सार

पंचायत	ब्लॉक पंचायत	जिला पंचायत
• ग्राम पंचायत के लिए वार्षिक विकास योजना तैयार करना • विकास योजनाएँ लागू करने के लिए वार्षिक बजट तैयार करना • लोगों की स्वैच्छिक मदद या श्रम दान से जमा रकम या सामान का उपयोग निर्माण/विकास के काम में	• ग्राम सभा द्वारा प्रस्तुत स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक पंचायत की सालाना योजना बनाना और जिला पंचायत की सालाना योजना बनाना और जिला पंचायत को यथा–समय भेजना • ग्राम पंचायत स्तर पर दिए गए अनुदान का सही समय	• जिले की सभी पंचायतों को नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करना • एकीकृत और जेंडर–संवेदी, जिला विकास योजना तैयार करना • जिला योजना को प्रणाली तरीके से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल बिठाना

करना • ग्राम पंचायत की संपदा का ब्यौरेवार रख–रखाव रखना • विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए वार्षिक योजना तैया करना	पर वितरण और उपयोग सुनिश्चित करना • पंचायतों की सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेवारियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों को नेतृत्व और मददगार पर्यवेक्षण प्रदान करें • सुनिश्चित करें कि ब्लॉक और ग्रामसभा के स्तर पर वार्ड सभा, स्थाई समितियों के सदस्यों की बैठकें, महासभा की समयबद्ध बैठकें आयोजित होती है।	• सभी खास क्षेत्रों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने–वाली निधि का संकलन और अलग–अलग ब्लॉकों में न्यायपूर्ण तरीके से वितरण।

महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का सार

- जेंडर से संबंधित बिखरी जानकारी सुनिश्चित करें।
- वार्ड सभा और ग्राम सभाओं में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।
- सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए खास तरीके के जेंडर से जुड़े बजट का आबंटन सुनिश्चित करें।
- सभी वर्तमान विकास योजनाओं के सामाजिक लेखा परीक्षण के दौरान जेंडर संबंधी लेखापरीक्षण सुनिश्चित करें।
- महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी विकास योजनाओं के बारे में ग्राम सभा स्तर पर तथा कानून साक्षरता संबंधी जागरूकता बढ़ाएँ।

सत्र 1.2: महिलाओं के नेतृत्व और जेंडर संवेदी शासन को मजबूत बनाना

सामान्य परिचयः 73वाँ संविधान संशोधन न केवल महिलाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने की बात करता है बल्कि उसमें पंचायतों में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के सामने आनेवाली चुनौतियों का भी जिक्र है। इस सत्र में महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए कार्यनीति पर विचार किया जाएगा।

सत्र के मुख्य बिन्दुओं पर सहभागियों का ध्यान आकर्षित करें।

सत्र के मुख्य बिन्दु

- जेंडर–संवेदी शासन
- महिलाओं के नेतृत्व में आनेवाली बाधाएं और चुनौतियां एवं इन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए कार्यनीति

- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत करना

जेंडर–संवेदी शासन

गतिविधि 1:

जेंडर संवेदी शासन के प्रमुख तत्वों का विस्तृत रूप से परिचय देना। इन तत्वों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं–

- सार्वजनिक हितों और दूसरे हितधारकों के प्रति जवाबदेही
- लंबे समय तक चलनेवाले और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के लिए आम सहमति
- प्रभावशीलता और दक्षता
- समान रूप से सबको साथ लेकर चलना
- भागीदारी (पुरुषों और महिलाओं की)
- टनुकूलता (सभी की जरूरतें लेकिन खास तौर पर गरीब और कमजोर तबके के लिए जरूरतें)
- कानून नियम, अधिकारों और अर्हताओं तक न्यायपूर्ण और पारस्परिक पहुँच
- पारदर्शिता

गतिविधि 2:

1. सहभागियों से पूछें कि वो महिला नेतृत्व में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों के बारे में क्या सोचते हैं। सहभागियों द्वारा दिए गए जवाबों के प्रमुख बिन्दुओं की सूची तैयार कर उसे फ्लिप चार्ट पर लिखें और उसका सार बनाएं। अगर कोई छूटे हुए बिन्दु हो तों उन्हें इनके साथ जोड़ें। हैन्डआउट 1.7 ''निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सामने बाधाएं और चुनौतियां'' का प्रयोग करें।
2. सहभागियों को तीन से चार समूह में बाँटें और उनसे बाधाओं पर काबू पाने के लिए कार्यनीति बनाने के लिए कहें। इस पर बातचीत कर फ्लिप चार्ट पर एक सूची बनाएं।
3. सभी समूहों को वापस एक साथ इकट्ठा करें और सभी सहभागियों को एक साथ करें। सभी मुख्य बिन्दुओं की फ्लिप चार्ट पर एक सूची बनाएं।
4. चुनौतियों पर काबू पाने के लिए कार्यनीतियां विषय पर संक्षेप में बातचीत आयोजित करें। हैण्डआउट 1.8 ''चुनौतियों पर काबू पाने के लिए कार्यनीतियाँ'' का प्रयोग करें।

मुख्य मुद्देः

- महिलाओं और लड़कियों के लिए अवसरों की कमी के कारण शिक्षा का अभाव
- महिलाओं में राजनीतिक ज्ञान और अनुभव की कमी
- व्यापक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व की स्वीकार्यता
- प्रभावशाली नेता बनने के लिए महिलाओं में ज्ञान और कौशल्य को बढ़ाना

- तेजी से प्रयोजनमूलक साक्षरता बढ़ाना
- पर्दा प्रथा पर रोक लगाना

कार्यनीतियाँः

- परिवार के पुरुष सदस्यों को जेंडर संवेदना के प्रति जागरुक बनाना
- महिला प्रतिनिधियों को सहयोग और समर्थन के लिए पुरुष प्रतिनिधियों और अधिकारियों को जेंडर जागरुक बनाना
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए बेहतर नेतृत्व प्रशिक्षण
- प्रभावी संचार और विवाद सुलझाने के लिए चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को सुविधाएं दी जानी चाहिए

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत बनाना

गतिविधि 3: पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत बनाने पर बातचीत करें। हैण्डआउट 1.9 ''**पंचायती राज संस्थाओं की मदद से महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत बनाना**'' का **प्रयोग कर एक सूची तैयार करें।**

पंचायती राज संस्थाओं की मदद से महिला नेतृत्व को मजबूत बनाने का सार–संक्षेप

- पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशरत सीटों का विस्तार
- फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी
- महिलाओं को और सक्षम बनाने पर जोर देना
- बेहतर कार्यनीति के साथ सिखाना और काम सीखने के दौरान विश्वास बढ़ाने पर जोर देना
- पितृसत्ता की बाधाओं पर काबू पाना

इस सत्र का अंत प्रेरक गीत के साथ करें ''हम होंगे कामयाब एक दिन...'' (हैण्डआउट 1.10)

याद रखने योग्य बिन्दु

- संविधान का 73वाँ संशोधन देश का एक ऐतिहासिक कानून है।
- ग्राम सभा, विकास योजना और इसे लागू करने के लिए एक बुनियादी संस्था है।
- लोगों की भागीदारी बढ़ाने में ग्राम सभा की भूमिका अहम है। खास तौर पर महिलाओं और शासन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी बढ़ाने में।
- पंचायती राज संस्थाएं तीन स्तर पर हैं–ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत
- पंचायती राज संस्थाएं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में अहम योगदान दे रही हैं।
- सभी स्तरों पर फैसल लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करना

- परंपरा से राजनीति में पुरुषों का प्रभुत्व और महिलाओं में राजनीतिक ज्ञान और अनुभव की कमी मुख्य चुनौतियां हैं।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सहयोग और समर्थन के लिए पुरुष प्रतिनिधियों और अधिकारियों को जेंडर संवेदनशील बनाना।

मॉड्यूल का सारांश

73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताः

- ग्राम सभा, विकास योजना और इसके कार्यान्वयन के लिए बुनियादी संस्था है।
- पंचायती राज संस्थाएं गांव, ब्लॉक और जिला तीन तीन स्तर पर हैं। पंचायत सदस्यों को सीधे चुना जाता है। पंचायत का कार्यकाल पांच साल का होता है।
- पंचायती राज संस्थाओं (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर है। पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) हैं।
- राज्य वित्त आयोग का हर पांच साल में गठन।
- राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा। सथ ही उसकी जिम्मेदारी पंचायत चुनाव के आयोजन की भी है।
- ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों की सूची।

पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम (PESA) के लिए जंगल, जल, जमीन और अपने क्षेत्र में खनिजों की तरह प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण का जिम्मा है। यह जनजातीय समुदाय को बेहतर स्वशासन की शक्ति देता है।

ग्राम सभा ग्राम पंचायत के लिए योजना और बजट मंजूरी देती है। इसके पास योजना, बजट, कार्यान्वयन पर निगरानी और संस्थाओं और उसके कर्मचारियों पर नियंत्रण करने की शक्ति और अधिकार है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा के कामकाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गांव के विकास पर फैसलों के जरिए करती है।

ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का काम

ग्राम पंचायत ग्राम सभा की प्राथमिकताओं के आधार पर सालाना विकास योजना तैयार करती है। साथ ही योजनाएँ लागू करने के लिए सालाना बजट भी तैयार करती है। इसके बाद सालाना विकास योजना ब्लॉक पंचायत के पास भेजी जाती है। जिससे प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत के काम में मदद दी जाती है।

यह सामूहिक कार्यों में जमीन के अतिक्रमण हटाने का काम करती है। जैसे गांव की चारागाह भूमि, घास के मैदानों, आम रास्तों, जलाशयों और जंगलों से अतिक्रमण हटाती है। विकास से जुड़े कामों

के लिए समुदाय के योगदान का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाएं बनाती और लागू करती हैं। वार्ड सभा और ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कराने के साथ–साथ गांव के विकास की योजना भी तैयार करती है।

ब्लॉक पंचायत ग्राम पंचायतों की वार्षिक विकास योजनाओं को संघटित करती है और ब्लॉक पंचायत के लिए विकास योजनाओं को तैयार करती है। जिला पंचायत के लिए सालाना योजना भेजती है, साथ ही ब्लॉक पंचायत वार्षिक विकास योजनाओं के लिए बजट तैयार करती है।

यह राज्य और केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त कर उसे ग्राम पंचायतों में बांटती है। इसके अलावा ग्रेाम पंचायतों से नियत समय पर बजट के इस्तेमाल को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी ब्लॉक पंचायत की होती है। ब्लॉक पंचायत की बैठकों का आयोजन और ग्राम सभा और वार्ड सभा की बैठकों को सुनिश्चित करने का काम भी इसी के पास होता है।

जिला पंचायत जिले के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करती है। जिसमें वार्षिक और पंचवर्षीय योजना शामिल है। इनसे जिले के ग्रामीण इलाकों को मदद दी जाती है। जिला पंचायत सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर जिला विकास योजना बनाने और लागू कराने का काम करती है।

यह केन्द्र और राज्य सरकारों से मिली राशि को इकट्ठा कर ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को पहुंचाती है। साथ ही ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर सभी पंचायतों को नेतृत्व प्रदान करती है।

महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

- ग्राम सभा और वार्ड सभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। महिला प्रतिनिधियों को जेंडर–संवेदी, खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों के विकास को ध्यान में रखकर, बजट तैयार करना चाहिए।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है कि वे महिलाओं और लड़कियों से संबंधित योजनाओं के लिए जगरूकता फैलाएं।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की बाधाएँ और चुनौतियाँ एवं उससे उबरने के लिए कार्यनीति

- महिलाओं और लड़कियों के लिए अवसरों की कमी की वजह से शिक्षा का अभाव है।
- आज भी समाज में पुरुषों का प्रभुत्व है।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के ज्ञान और कौशल का विकास जरूरी।
- महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए।
- परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ–साथ अगर जरूरत हो तो परिवार की वरिष्ठ महिला सदस्यों को भी जेंडर के प्रति जागरुक बनाना।
- कार्यस्थल पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सहयोग और समर्थन के लिए निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों और अधिकारियों का जेंडर संवेदी होना जरूरी है।

- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सार्वजनिक जगह पर भाषण देने, नेतृत्व करने, कार्यालय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, बैठक आयोजित करने और बैठकों को संबोधित करने का प्रशिक्षण देना चाहिए।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। जिससे वे राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक, मीडिया, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र की बड़ी और विश्वप्रसिद्ध हस्तियों के साथ बातचीत कर सकें।

....

मॉडयूल 2

जेंडर की ऐतिहासिक/सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

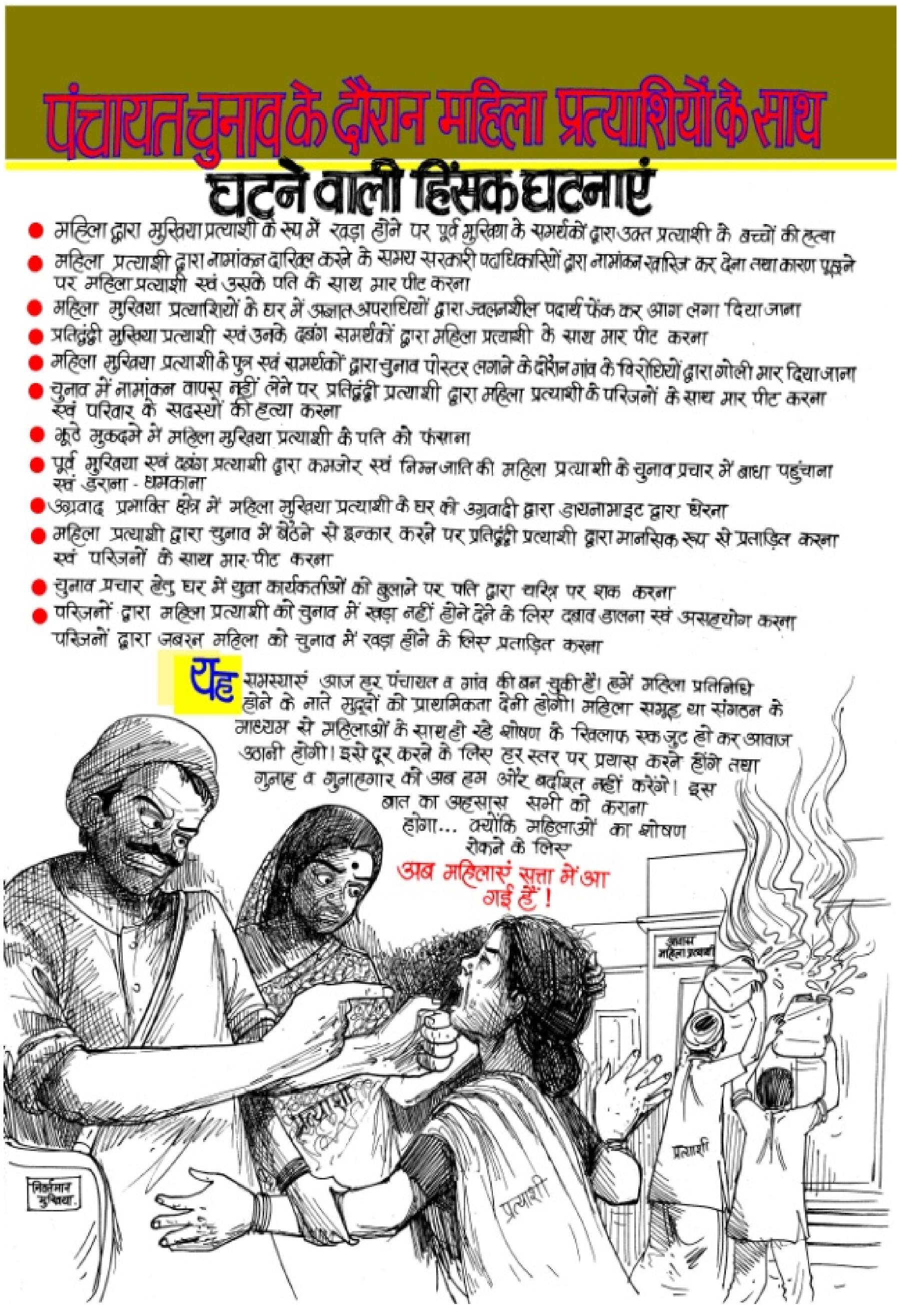

पिछले मॉडयूल में हमने पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सामने आनेवाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात की। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, यह बहुत जरूरी होता है कि हम जेंडर, लिंग और पितृसत्ता की अवधारणाओं को समझें; जो महिलाओं के साथ परिवार और सामाजिक जीवन में बाधाओं को बढ़ावा देती है।

इस मॉड्यूल में हम कुछ नयी शब्दालियों से परिचित होंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि किस तरह ये जेंडर संबंधों से संचालित होते हैं और अंत में, जेंडर संबंधी असमानता को समस्याओं का समाधान पाने में पंचायती राज सस्थाओं में महिला नेतृत्व किस तरह सहायक हो सकता है।

उद्देश्य

1. जेंडर, लिंग/पितृसत्ता की अवधारणाओं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में भेद–भाव से परिचित होना।
2. प्रतिभागियों को परिवार, समाज, समुदाय और समाजीकरण की प्रक्रिया में जेंडर की भूमिका और संबंधों को समझने में सहायक होना।
3. जेंडर असमानता के कुप्रभाव पर जोर देना।
4. महिलाओं पर होनेवाले अत्याचार और समाज पर उसके प्रभाव के विभिन्न रुपों को उजागर करना।
5. मानवाधिकार (यूडीएचआर 1948) के ढ़ांचे के तहत महिला अधिकारों की स्थिति और उसके आयोग से जुड़े तथ्यों को परखना।
6. महिलाओं के मानव अधिकारों की रक्षा में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को मजबूत करना।

सत्र योजना (4 सत्र, 240 मिनट)

सत्र	सत्र शीर्षक	उप–अध्याय	अपेक्षित परिणाम	प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण सामग्री
2.1	जेंडर और विकास में उसकी भूमिका	• लिंग, जेंडर आधारित विकास में उसकी भूमिका, पितृसत्ता • जेंडर की व्यावहारिक और कार्यगत जरूरतें • जेंडर असमानता	लिंग और जेंडर के अंतर, जेंडर की भूमिका की व्याख्या और जेंडर से जुड़ी जरूरतों के व्यावहारिक एवं कार्यगत पहलुओं को समझने में प्रतिभागी सक्षम हो	• चार्ट और प्रस्तुतिकरा के साथ–विचारोतेजन तथा विषय योगदान–तंत्र	• चार्ट और स्टैंड • सफेद बोर्ड और मार्कर पेन • हैन्डआउट्स • पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
2.2	जेंडर आधारित हिंसा	• जेंडर आधारित	प्रतिभागी, जेंडर आधारित हिंसा के प्रकारों की	• प्रश्न एवं उत्तर • विचारोत्तेजन	• फिलप चार्ट • हैन्डआउट्स

		हिंसा के कारण, प्रकार और असर एवं इन्हें रोकने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका	सूची बनाए, उसके कारण और प्रभाव की समीक्षाकरें एवं इसे रोकने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को समझे	तथा विषय योगदान–सत्र	• सफेद बोर्ड और मार्कर पेन
2.3	कन्या भ्रूण हत्या और प्रतिकूल लिंगानुपात	• कन्या भ्रूणहत्वा • लिंग का पता लगाने के लिए जांच • लिंगानुपात • पंचायतों की भूमिका	प्रतिभागी, कन्या भ्रूण, हत्या के कारणों को समझें और ये किस तरह लिंगानुपात और समाज को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हें इसे भी समझें	• विचारोत्तेजन तथा विषय योगदान–सत्र	• फ्लिप चार्ट और मार्कर पेन • हैन्डआउट्स
2.4	महिलाओं के अधिकार भी मानवाधिकार है।	• यूडीएचआर (UDHR) का मूलभूत ढ़ांचा मानवाधिकारों के चार सेटों में प्रत्येक में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन	प्रतिभागी मानवाधिकार के मूलभूत ढ़ांचे को समझने में सक्षम हो और इस ढ़ांचे में महिलाओं की स्थिति को भी समझें	• पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण/ चार्ट आाधरित प्रस्तुतिकरण	• पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण • एलसीडी प्रोजेक्टर और कंम्प्यूटर/लॉप टॉप • फ्लिप चार्ट और मार्कर

प्रशिक्षकों के लिए सुझाव

- जेंडर, लिंग और पितृसत्ता की विस्तृत जानकारी देते समय भाग लेनेवालों के अनुभवों को सुन–समझकर उन्हें इसके नए आयायों को समझाना।
- दिए गए सवालों और सत्र संबंधी योजना के सुझावों पर भाग लेनेवालों के अनुभवों को जानने के लिए उनके भीतर जिज्ञासा पैदा करना।
- प्रशिक्षकों को चाहिए कि वे ट्रेनिंग देनेवालों/निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को किसी मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रेरित करें और उन्हें कई पुरानी मान्यताओं पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करें।

- जेंडर पर आधारित होनेवाली हिंसा, ऐसी हिंसा के विविध रूपों के कारणों, प्रभावों और इन्हें रोकने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा शुरू करें। प्रशिक्षकों को ऐसी विचारोत्तेजक चर्चा से जो सामग्री मिलती है उसका वे विश्लेषण करें और अंत में उसका सार प्रस्तुत करें।
- समाज में महिलाओं के अधिकार के महत्व स्वीकार करने के साथ–साथ समाज में हो रही जेंडर संबंधी असमानता और हिंसा को रोकने की दिशा में चर्चा का रुख करें।
- हर सत्र का समापन जेंडर संवेदनशीलता, जेंडर संबंधी अत्याचार कम करने और महिला अधिकारों को मानवाधिकार समझकर इन अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका की, पंचायत तथा ग्राम सभा के स्तर पर बढ़त करने की टिप्पणी के साथ होना चाहिए।

सत्र 2.1: जेंडर और विकास में उसकी भूमिकाएँ

सत्र के मुख्य बिन्दु

- लिंग, जेंडर और जेंडर की भूमिका
- पितृसत्ता
- जेंडर के लिए व्यावहारिक और नीतिगत जरूरतें
- जेंडर असमानताएँ

सामान्य परिचयः

यह सत्र जेंडर, लिंग और पितृसत्ता की धारणाओं को स्पष्ट करता है। इसके अलावा यह सत्र समाज में जेंडर और लिंग की भूमिका की रूपरेखा की भी चर्चा करता है। यह सत्र जेंडर के व्यवहारिक और नीतिगत जरूरतों पर बातचीत के साथ खत्म होता है। साथ ही इस सत्र के अंत में समाज में होनेवाली जेंडर संबंधी असमानता और उसके प्रभावों पर भी चर्चा होती है।

सत्र में भाग लेनेवालों का ध्यान इसके मुख्य बिन्दुओं पर आकर्षित करें

लिंग, जेंडर और जेंडर की भूमिका

गतिविधि 1–सत्र की शुरूआत? इसके मुख्य प्रश्नों पर प्रतिभागियों की राय लेकर की जाए–

- लिंग और जेंडर के बीच वे क्या अंतर समझते हैं
- आदर्श पुरुष और आदर्श महिला में क्या गुण होने चाहिए?
- लिंग की भूमिका और जेंडर की भूमिका के बीच क्या अंतर है?

सहभागियों की राय जानकर उसका फ्लिप चार्ट बनाकर उस पर बातचीत करें।

हैण्डआउट 2.1 और 2.2 ''जेंडर भूमिकाओं का समाजीकरण'' और ''अधिकार संरचना में महिलाएँ'' का प्रयोग करें। (देखें–अनुलग्नक 6)

सहभगियों के विचार निम्न बिन्दुओं पर एकत्र करें:

लिंग	जेंडर
• **जीव विज्ञान संबंधी और प्राकृतिक** • **प्रदत्त** • **बिना उत्तराधिकार के** • **स्थिर, अपरिवर्तनशील**	• सामाजिक–सांस्कृतिक, समाज द्वारा बनायी गई • शिक्षा द्वारा प्राप्त या सीधी गयी • उत्तराधिकारबद्ध • अस्थिर या परिवर्तनशील
लिंग की भूमिका	**जेंडर की भूमिका**
• **सभी मानव समाज में एक समान होते हैं। जैसे महिलाएँ ही बच्चे को जन्म देती है।** • **ये समय के साथ नहीं बदलते।** • **एक ही लिंग के जरिए होता है।** • **यह जैविक रूप से तय होता है।**	• अलग अलग समाज में अंतर हो सकता है। • समय के साथ बदल सकता है। • दोनों लिंगों के जरिए होता है। • यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तय होता है।

जेंडर की भूमिका का संक्षिप्त विवरण–

- जेंडर की भूमिका सामाजिक रूप से निर्बधित।
- महिलाओं और पुरुषों की भूमिका के आधार पर अंतर होता है।
- क्षेत्रीय आधार पर अंतर होता है और समय के साथ परिवर्तनीय

महिलाओं और पुरुषों की भूमिका की रूढ़िवादी या पारंपरिक सोच–

- पारंपरिक रूप से पुरूष को ही अपने परिवार के पालन–पोषण के लिए कमाई करनी चाहिए।
- पुरुष आक्रामक हो और वे ही घर के स्वामी होते हैं।
- महिलाएं घर के काम करती हैं जैसे खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल करना।
- महिला को आज्ञाकारी, दब्बू और कमजोर होना चाहिए।
- समाज में जेंडर संबंधी रूढ़िवादिता फैली हुई है जो आज समाज में प्रचलित है और इससे कई मनगढ़ंत बातें या मिथक पैदा होते हैं।

पितृसत्ता

गतिविधि 2:

सहभागियों को दो समूहों में बांटे। दोनों समूहों को घर के एक दृश्य या मंचन करने को कहें:

1. घर में तीसरी लड़की का जन्म हुआ है।
2. एक लड़के का जन्म हुआ है।

उन्हें देखने और हालात बयान करने या बताने को कहें। पितृसत्ता के आयामों को बताने के लिए सारणी का प्रयोग करें। बातचीत और सारणी के जरिए मिली राय इकट्ठा करें। हैन्डआउट 2.3 ''पितृसत्ता के आयाम'' का प्रयोग करें।

पितृसत्ता का संक्षिप्त विवरण

- परंपरा या सामाजिक संरचना के अनुसार घर में पिता का शासन ही होता है और घर ही समाज की शुरूआती नींव होती है।
- समाज की संरचना और प्रयोग में पुरुषों का प्रभुत्व होता है और महिलाओं की भूमिका गौण होती है।
- समाज में वर्ग, जाति, रंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर होनेवाले भेदभाव में भी महिलाओं को ही सामाजिक स्तर और जेंडर असमानता का सामना करना पड़ता है।
- सामान्य नियमों के आधार पर सभी पुरुष शासक और सभी महिलाएं शासित नहीं होती हैं। फिर भी मोटे तौर पर पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व होता है और महिलाओं की भूमिका गौण होती है। समाज में मतों, पंथों की पारंपरिक पूजा–इबादतों एवं जमीन जायदाद से जुड़े मामलों, संपत्ति के अधिकार, शादी के तौर–तरीकों और परिवार में जुड़े मामलों में पुरुषों का प्रभुत्व होता है।

जेंडर की व्यावहारिक और अनुकूल जरूरतें–

गतिविधि 3: सहभागियों को दो समूहों में बाँटें। एक समूह को पुरुषों की आवश्यकताओं से जुड़ी बातों पर राय देने को कहें। दूसरे ग्रुप को महिलाओं की आवश्यकताओं से जुड़ी बातों पर राय देने को कहें। (उदाहरण स्वरूप खान–पान, कपड़े, मकान, शिक्षा, औजार, इंधनर, स्वास्थ्य आदि पर) पुरुषों के विकास संबंधी जरूरतों को सारणी के एक ओर लिखें और दूसरी ओर महिलाओं की जरूरतों को लिखें।

महिलाओं और पुरुषों की समान और अलग–अलग जरूरतों पर चर्चा करें।

जेंडर की व्याहारिक जरूरतें–

- प्रजनन की भूमिका के कारण महिलाओं पर अधिक बोझ आता है।

- पंचायत की महिलाएँ ऐसे कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित कर सकती हैं, जो बेहतर शिशु देखभाल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर पानी और बिजली या बेहतर यातायात साधनों से जुड़े हों। इससे महिलाओं को अपने पारिवारिक और घरेलु कार्यों के लिए अधिक समय आसानी से मिल सकता है।

जेंडर की कार्यनीति संबंधी जरूरतें:

- शिक्षा, कौशल ट्रेनिंग, ऋण सहायता और समाज से जुड़ी गतिविधियाँ महिलाओं की भागीदारी में सहायक होती है।
- जेंडर में समानता के लिए समाज से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होना और उसे अपनाना बेहत जरूरी है।
- महिला प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की महिलाओं को इन अनुकूल जरूरतों तक पहुँचने में मदद कर सकती है।

महिलाओं और पुरुषों के बीच की असमानता को दूर करने के लिए जेंडर की व्यावहारिक या सुनियोजित जरूरतों पर अतिरिक्त ध्यान देना जरूरी है। इसे समझाने के लिए लोमड़ी और बगुले की कहानी सुनाएं।

जेंडर संबंधी असमानता

गतिविधि 4:

- सहभागियों से जेंडर संबंधी असमानता के प्रभाव और परिणाम के बारे में पूछें।

उनके बताए गए बिन्दुओं को सारणी में लिखें और उस पर बातचीत करें। देखें–हैन्डआउट–2.4 ''जेंडर असमानता के प्रभाव और परिणाम'', हैण्डआउट–2.5 ''जेंडर असमानता के कई रूप'' (प्रसंग–अनुलग्रक 9)

जेंडर संबंधी असमानता का समेकन

- खासकर प्रगतिशील देशों में गरीबी का बोझा महिलाएँ उठाती हैं।
- श्राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी (15 प्रतिशत से भी कम)
- समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं का भले ही अहम योगदान होता है लेकिन भारत में महिलाओं को अर्थव्यवस्था पर बोझ नही समझा जाता है।
- स्कूलों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का नामांकन कम होता है।

सत्र 2.2 : जेंडर पर आधारित हिंसा (GBV)

सत्र का संक्षिप्त विवरणः

जेंडर पर आधारित हिंसा के रूप, उनके कारण, प्रभाव और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों द्वारा इसकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले प्रयास

सामान्य परिचयः—महिलाओं के साथ होनेवाले प्रताड़ना के अनेक रूप, उसके कारणों, प्रभावों और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों द्वारा इसकी रोकथाम के लिए किए जानेवाले प्रयासों का परीक्षण इस सत्र में होता है।

सत्र के मुख्य बिन्दुओं की ओर प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित करें।

जेंडर पर आधारित हिंसा के रूप, उनकी वजह, प्रभाव और पंचायती राज संस्थाओं द्व्ज्ञरा इसके रोकथाम के लिए किए जानेवाले प्रयास

गतिविधि 1:

प्रतिभागियों से चार सवाल पूछें और उनके द्वारा दिए गए जवाबों की सूची बनाएं प्रतिप्रश्न करने और संक्षेपण के लिए यह सूची फ्लिप चार्टों पर बनाएँ

- स्माज में महिलाओं पर होनेवाली हिंसा के अलग—अलग प्रकार क्या है?
- आज के दौर में समाज में महिलाओं पर होनेवाले अत्याचारों, हिंसा के क्या कारण हैं?
- महिलाओं पर होनेवाली हिंसा का परिवार, कार्यस्थल और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- ग्रामीण क्षेत्रों महिलाओं पर होनेवाली हिंसा को रोकने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है?

इस सत्र में सहभागियों की राय ही जेंडर पर आधारित हिंसा के प्रति संवेदन—शीलता फैलाने का काम करेगी और इसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका भी अहम होगा। हैन्डआउट 2.6 ''महिलाओं पर अत्याचार/जेंडर आधारित हिंसा'' और हैण्डआउट 2.7 ''महिलाओं पर होनेवाले अत्याचार रोकने में पंचायतों की भूमिका'' का प्रयोग करें।

महिलाओं पर होनेवाली हिंसा के रूप और उसकी रोकथाम में पंचायत की भूमिका का संक्षिप्त विवरणी

- परिवार में होनेवाली शारीरिक, यौन, मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना। इसमें शारीरिक क्षति भी शामिल है।
- घरेलु प्रताड़ना।
- शादी के बाद दहेज के लिए होनेवाली हिंसा।
- शादीशुदा जिंदगी में होनेवाली यौन प्रताड़ना।
- देहव्यापार और वेश्यावृत्ति।
- युद्ध और जातीय हिंसा जैसी स्थितियों के दौरान महिलाओं पर होनेवाली हिंसा।
- महिलाओं के गुप्तांगों का विकृतिकरण और अन्य सामाजिक रूढ़ियों से होनेवाली नुकसान, पति के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा की जानेवाली प्रताड़ना और शोषण से जुड़ी हिंसा।
- कन्या भ्रूणहत्या और कन्या शिशु हत्या।

महिलाओं के साथ होनेवाली हिंसा के कारण

- समाज में पुरुषों का वर्चस्व
- महिलाओं में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की कमी।
- कमजोर न्यायिक व्यवस्था।
- परिवार द्वारा महिलाओं से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएँ।

महिलाओं पर होनेवाली हिंसा की रोकथाम में पंचायत की भूमिका

- ग्राम सभा और वार्ड सभा स्तर पर बैठक आयोजित कर महिलाओं के साथ परामर्श। इसके अलावा क्षेत्र के स्वयंसेवी समूहों और स्थानीय संगठनों के साथ भी सलाह–मशविरा।
- पंचायत और उसके निरर्वाचित सदस्यों को ग्राम सभा के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जहां पीड़ित अपनी शिकायत कर सके और पंचायत पीड़िता की मदद करें।
- गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधि इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए नियम और व्यवस्था बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- पुलिस, सरकारी और निजी संस्थानों, आयोगों में, मुफ्त न्यायिक सहायता कक्ष में संपर्क इस तरह की हिंसा और ऐसे मामलों की संख्या तथा तीव्रता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सत्र 2.3 कन्या भ्रूणहत्या और बच्चों का प्रतिकूल लिंगानुपात

सत्र के मुख्य बिन्दु–

- कन्या भ्रूणहत्या के कारण और उसके प्रभाव, और
- कन्या भ्रूणहत्या को रोकने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

सामान्य परिचय–यह सत्र कन्या भ्रूणहत्या, उसके कारणों और उसके प्रभाव पर केन्द्रित है। यह बिगड़ते हुए लिंगानुपात की ओर ध्यान आकर्षित करने के साथ–साथ यह भी बताता है कि पंचायती राज संस्थाएँ किस तरह बिगड़ते हालात पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयास कर सकती हैं।

सत्र के मुख्य बिन्दुओं की ओर सहभागियों का ध्यान खींचे।

गतिविधि 1:

प्रतिभागियों से चार प्रश्न पूछें और प्रतिप्रश्न करने और संक्षेपण के लिए फ्लिप चार्टों पर यह सूची लिखें।

- कन्या भ्रूणहत्या क्या है?
- कन्या भ्रूणहत्या के कारण क्या है?
- लिंगानुपात क्या है?
- लड़के या लड़की के लिंग निर्णय के पीछे क्या अवधारणा है? यह कैसे क्रियान्वित होती है?
- कन्या भ्रूणों की हत्या कैसे की जाती है?
- कन्या भ्रूणहत्या का लड़कियों और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- कन्या भ्रूणहत्या को रोकने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है?

सहभागियों की राय ही कन्या भ्रूणहत्या के प्रति संवेदनशीलता फैलाने का काम करेंगी और इसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका भी अहम होगी। हैन्डआउट 2.8 ''कन्या भ्रूणहत्या और इसकी रोकथाम के उपाय'' और हैन्डआउट 2.9 ''कन्या भ्रूणहत्या रोकने में पंचायतों की भूमिका'' का प्रयोग करें।

कन्या भ्रूणहत्या के कारण और उसकी रोकथाम में पंचायत की भूमिका का संक्षिप्त विवरण

- कन्या भ्रूणहत्या जानबूझकर गर्भपात कराना है, जो कि भ्रूण लड़की होने पर कराया जाता है।
- सोनोग्राफी करवा कर भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है।
- यह जीने के मूलभूत मानवाधिकार का उल्लंघन है।
- कन्या भ्रूणहत्या एक दंडनीय अपरा है। भ्रूण के लिंग परीक्षण पर कानूनी होक है।

कन्या भ्रूणहत्या के कारण

- लड़कों को प्राथमिकता ।
- दहेज जेसी कुप्रथाओं की वजह से लड़कियों को बोझ समझना।
- समाज में पुरुषों का वर्चस्व।
- कमजोर न्यायिक व्यवस्था।

कन्या भ्रूणहत्या रोकने में पंचायत की भूमिका

- ग्राम सभा और वार्ड सभा स्तर पर बैठक आयोजित कर महिलाओं के बीच जागरुकता फैलाना, इसके आलावा यह बैठक क्षेत्र के स्वयंसेवी समूहों और स्थानीय संगठनों के साथ भी आयोजित करनी चाहिए।
- पंचायत और उसके निरर्वाचित सदस्यों को ग्राम सभा के साथ मिलकर एक ऐसी योजना का विकास करना चाहिए जहां पीड़िता अपनी शिकायत कर सके। साथ ही पंचायत को चाहिए ि वह पीड़िता की मदद करें।
- गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए नियम बना सकते हैं।
- पुलिस, सरकारी और निजी संस्थान, और आयोगों से, मुफ्त न्यायिक मदद विभाग के साथ संपर्क से ऐसे मामलों की संख्या कम हो सकती है।

सत्र 2.4 – महिलाओं के अधिकार और मानवाधिकार

सत्र के मुख्य बिन्दु–

- मानवाधिकार के वैश्विक घोषणा पत्र (UDHR) में मानवाधिकार के साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार के मूलीाूत ढ़ांचे के चार स्वरूप
- जीने का अधिकार, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और हिस्सेदारी का अधिकार
- मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए बने ऐतिहासिक कानून

सामान्य परिचयः मानवाधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। ये ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं, जो मानव जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार की अंतरराष्ट्रीय घोषणा 1948 में वैश्विक राष्ट्र में शामिल की गयी। इसकी सूची मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा पत्र (UDHR) में शामिल की गई। इस सत्र में अतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्य स्तरों पर महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किये जानेवाले निरंतर प्रयासों का संक्षिप्त समाकलन हैं।

सत्र के मुख्य बिन्दुओं की ओर सहभागियों का ध्यान खींचें।

मानवाधिकार के वैश्विक घोषणा पत्र (UDHR) का मूलभूत ढ़ांचा – महिलाओं की स्थिति में सुधार से जुड़े मानवाधिकार

गतिविधि 1ः

1. सहभागियों को ''ग्रामीण भारत में महिलाओं के अधिकार'' की 5 मिनट की वीडिया क्लिप दिखाएँ और इस पर उनके विचारों को जनें या राय लें।
2. मानवाधिकार की परिभाषा पर बात करें और अलग–अलग तरह के मानवाधिकारों पर भी बात करें।

हैन्डआउट 2.10 ''महिलाओं के अधिकार भी मानवाधिकार है'' का प्रयोग करें।

अंतर्राष्ट्रीय परंपरा की सारणी तैयार करें और सहभागियों को समझाएं या उन्हें पोस्टर देकर बताएँ।

हैन्डआउट 2.11 ''मानवाधिकार के वैश्विक घोषणा–पत्र में शामिल अधिकार'' का प्रयोग करें।

मानवाधिकार के प्रकारों का संक्षिप्त विवरणी

- मानवाधिकार का दावा है कि पुरुष, महिला और बच्चे सभी को जन्म के साथ ही ये अधिकार मिल जाते हैं। यह सभी पर लागू होते हैं और इन्हें कोई बदल नहीं सकता।
- किसी राज्य, देश या समाज के हर व्यक्ति को निजी अधिकार के तौर पर कानूनी अधिकार प्रापत होता है। जैसे–जीने का अधिकार, समानता का अधिकार और कानून का संरक्षण
- समाज के हर व्यक्ति के लिए सामाजिक अधिकार जरूरी हैं। जैसे–शादी करने और परिवार रखने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि।
- राजनैतिक अधिकार, हर व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार देता है। जैसे–मत देने का अधिकार, राजनीति के लिए ऑफिस पाने का अधिकार और जनसभा करने का अधिकार।
- बीते कुछ वर्षों में इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई ऐतिहासिक कानून बनाने गए हैं।

महिलाओं के अधिकारों को बचाने के लिए ऐतिहासिक कानून

गतिविधि 2–''द पिंक ब्रिगेड'' नाम का 5 मिनट का वीडियो क्लिप दिखाएं और दहेज रोकथाम कानून पर बातचीत करें, साथ ही महिलाओं के अधिकार को बचाने से जुड़े दूसरे कानून पर भी बात करिं।

हैन्डआउट 2.12 ''महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कानून'' का प्रयोग करें।

महिलाओ के अधिकार को बचाने के लिए ऐतिहासिक कानूनों का संक्षिप्त विवरण

- दहेज रोकथाम अधिनियम, 1961
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

- महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े हर तरह के परंपरा रोकने पर (CEDAW) अधिनियम, 1979
- महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन के रोकथाम के लिए अधिनियम, 1986
- महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, अधिनियम, 1990
- प्रसव से पहले मेडिकल जांच से जुड़ी तकनीक (दुरुपयोग की रोकथाम) का अधिनियम, 1994
- घरेलु हिंसा से महिलाओं के बचाव संबंधी अधिनियम, 2005
- बाल विवाह पर रोक अधिनियम, 2006 तक संशोधित
- यौन अत्याचार से बचाव अधिनियम, 2009
- भरण–पोषण या जीविका का अधिकार

महिलाओं के मानव अधिकारों को बचाने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका

गतिविधि 3: महिलाओं के मानव अधिकारों को बचाने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका पर प्रतिभागियों से सवाल पूछें। उनके जवाबों की सूची बनाएं और उसपर राय दें।

हैन्डआउट 2.13 ''महिलाओं के मानव अधिकारों की सुरक्षा में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका'' का प्रयोग करें।

चर्चा का समापन इन बिन्दुओं पर करें

- सामान्यतः मानरवाधिकार की बेहतर समझ और महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार है यह धारणा स्पष्ट होना अनिवार्य है।
- इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी हो। जब कभी महिलाओं के अधिकारों का हनन हो, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि इसके सुधार के लिए काम करें।
- महिलाओं, महिला संगठनों और महिला अधिकारों के लिए काम करने की रुचि रखनेवालों को एकजुट करें।
- समस्या समाधान के तरीके लागू करना।

याद रखने–योग्य बिंदु

1. जेंडर असमानता का विस्तृत प्रभाव शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर पड़ता है।
2. महिलाएं अभी भी घर, दफ्तर (कार्यस्थल) और समाज में हिंसा का शिकार हो रही है। इसे सामाजिक जागरुकता के जरिए या कानून और नीतियों को लागू कर कम किया जा सकता है।
3. महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन ही महिलाएं समाज में आश्रित बने रहने का कारण औरत अब हैं।

4. जानकारी, बेहतर तैयारी और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रयास का कार्य, महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं।
5. रूढ़िवादी जेंडर भूमिका के कारण ही महिलाओं को घर के काम–काज में तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में ही रहना पड़ता है।
6. सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। धीरे–धीरे समाज (जिसमें पुरुष और लड़के दोनों शामिल हैं) जेंडर की बदलती भूमि को जरूर स्वीकार करेगा।

मॉडयूल का सारांश–

लिंग से ही पुरुष और महिला के बीच के जैविक अंतर की पहचान होती है। यह प्राकृतिक है। यह स्थायी होता है और नहीं बदलने वाला है।

जेंडर से ही महिला और पुरुष के बीच के सामाजिक अंतर की पहचान होती है। यह पुरुष और महिला, लड़के और लड़की के सामाजिक संबंध को बताता है। यह सामाजिक रूप से बनता है। यह अस्थायी और बदला जा सकनेवाला होता है।

पितृसत्ता का मतलब पिता का शासन है। सामाजिक संरचना और इसकी बनावट में पुरुषों का शासन होता है या पुरुषों का वर्चस्व होता है और यहाँ महिलाएँ सहयोगी या आश्रित होती है।

पुरुष और महिला की भूमिका के बारे में रूढ़िवादी सोंचः पारंपरिक रूप से पुरुष ही परिवार के पालन–पोषण के लिए कमाते हैं। पुरुष आक्रामक और प्रभारी होते हैं। महिलाएं घर में खाना बनाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल करने का काम करती हैं। महिलाएं विनम्र और कमजोर होती हैं। जेंडर संबंधी रूढ़िवादिता की वजह से समाज में कई तरह के मिथक प्रचलित हो जाते हैं।

महिला और पुरुष दोनों को दो तरह की जेंडर जरूरतें होती हैं। व्यावहारिक जरूरतों में बच्चों की बेहतर देखभाल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, पानी और बिजली आदि। सुनियोजित जरूरतों में शिक्षा, बेहतर ट्रेनिंग, ऋण की सुविधा आदि। इन सभी जरूरतों को हासिल करने में महिला प्रतिनिधियों को अपने चुनाव क्षेत्र की महिलाओं की मदद करनी चाहिए।

जेंडर संबंधी असमानता के प्रभावः जेंडर संबंधी असमानता व्यापक रूप से फैली है। जिससे मूल अधिकार, बेहतर संसाधनों को पाने और उसे निरंतर बनाए रखने, फायदा पहुंचानेवाले अवसर के साथ साथ मजबूत और राजनीतिक आवाज बुलंद करने में मुश्किल होती है। और इससे विकास में बाधा होती है।

परिवार, बिरादरी और समाज में महिलाओं पर होनेवाली हिंसा के कई रूप होते हैं।

मानवाधिकार में नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। महिलाओं के साथ होनेवाली हिंसा रोकने के लिए घरेलु हिंसा अधिनियम 2005, दहेज के खिलाफ अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक का अधिकार 1976 जैसे कानून हैं। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा

सकती है। इसके लिए उन्हें मानवाधिकार को अच्छी तरह समझना होगा। महिला संगठनों को एकजुट करना पंचायतों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है।

© इक्विटी फाउन्डेशन

मॉडयूल 3

महिला—सशक्तिकरण

पिछले मॉड्यूल में जेंडर संबंधी असमानता दूर करने के संबंध में और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका के बारे में बताया गया। इस मॉड्यूल में हम पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यक्रमों में महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी बातों के साथ–साथ उसके उन विस्तृत लक्ष्यों की बात करेंगे जिनके लिए चुनिंदा और विशिष्ट नीतियों का चयन किया गया और चर्चा हुई है।

उद्देश्य

1. महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जेंडर से जुड़े श्रम विभाजन पर विचार करना।
2. फैसले लेने और संसाधन नियंत्रण संबंधी मामलों में महिलाओं की भूमिका सशक्त करने पर विचार करना।

सत्र योजना (3 सत्र, 210 मिनन)

सत्र	सत्र का शीर्षक	उप–अध्याय	अपेक्षित परिणाम	प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण सामग्री
3.1	महिला सशक्तिकरण	• महिला सशक्तिकरण के सूचक	महिला सशक्तिकरण से जुड़े सूचकों और सशक्तिकरण में बाधक बातों को समझने में प्रतिभागी सक्षम होंगे।	• छोटे–छोटे समूह में चर्चा • सरणी और प्रस्तुतिकरण के जरिए समझाना	• फ्लैश कार्ड • चार्ट • सफेद बोर्ड • मार्कर पेन • प्लास्टिक चिपकाने के लिए टेप
3.2	हर स्तर पर निर्णय में महिलाओं की बढ़ती भूमिका	• निर्णय के अलग–अलग तरीके • निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका	प्रतिभागियों को महिलाओं की घरेलू और स्थानीय प्रशासन में निर्णय में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए अलग–अलग योजनाओं और नीतियों पर चर्चा करनी होगी।	• प्रभावी चर्चा • अनुभव बाँटना • खेल (जितना जीत सकते हैं जीतें)	• हैन्डआउट्स • फ्लिपचार्ट • पोस्टर • मार्कर पेन

3.3	संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण में सुधार	• जेंडर समानता के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक वचनबद्धता एवं सुविधा और व्यावसायिक एवं आर्थिक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण बढ़ाने में महिलाओं के अधिकार। • संसाधनों तक पहुँच के महत्त्व के उद्धरण।	सामाजिक, प्राकृतिक और अन्य आर्थिक संसाधानों तक प्रतिभागी पहचान और पहूँच बनाएँ।	• सामूहिक चर्चा • सारणी और प्रस्तुतिकरण के जरिए समझाना	• सफेद बोर्ड • बोर्ड मार्कर

प्रशिक्षकों के लिए सुझाव

इस मॉड्यूल में जेंडर को मुख्यधारा से जोड़ने से संबद्ध योजनाओं में सहभागियों को शामिल करने के लिए उनकी जानकारी और अनुभवों की पहचान और पड़ताल की जाएगी। इसके लिए उनके व्यावहारिक ज्ञान को समझकर उन्हें योजना के दौरान सिखाई गई जेंडर की नयी अवधारणा की मदद लेनी होगी। कृपया इस बात को याद रखें कि किसी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी जड़ें स्थानीय स्तर पर कितनी गहरी है। इसलिए हर सहभागी को इसके लिए प्रोत्साहित करना होगा कि वह योजना को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य में देखें और लागू करें।

सत्र 3.1 : महिला–सशक्तिकरण

सत्र के मुख्य बिन्दु

- महिला सशक्तिकरण के संकेतक
- सशक्तिकरण के सहायक और बाधक पहलू

सामान्य परिचयः इस सत्र में महिला सशक्तिकरण और इसके संकेतक की चर्चा होगी। साथ ही इसमें सशक्तिकरण के साधक और बाधक पहलुओं पर चर्चा होगी।

सहभागियों का ध्यान सत्र के मुख्य बिन्दुओं पर आकर्षित करें।

महिला सशक्तिकरण के संकेतक

पूरी जानकारी लेने के बाद ही चेक, बाऊचर, प्रस्ताव पत्र,रजिस्टर या पेपर पर हस्ताक्षर करें

गतिविधि 1:

सहभागियों से पूछें

- महिला सशक्तिकरण क्या है?
- महिला सशक्तिकरण के संकेत क्या हैं? सहभागियों की सोच पर चर्चा करें। हैन्डआउट 3.1 ''महिला सशक्तिकरण के संकेतक'' का प्रयोग करें। (संदर्भ अनुलग्नक 10 और 11)

सशक्तिकरण में आधारभूत अधिकारों का पुनर्वितरण और संरचनात्मक समाधान शामिल है।

महिला सशक्तिकरण के संकेतक

- एक महिला और उसके घरेलु स्तर पर
    - मुश्किल फैसले लेने में भागीदारी
    - घर के कामों में पुरुषों की भागीदारी
- समाज और/या संस्था से स्तर पर
    - महिला संस्थाओं का अस्तित्व
    - महिला और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए निधियों का आबंटन
- राष्ट्रीय स्तर पर
    - महिलाओं को उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जानकारी
    - सामान्य राष्ट्रीय विकास योजनाओं में महिलाओं को जोड़ना
    - महिलाओं से जुड़े प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों और प्रकाशनों का अस्तित्व

सशक्तिकरण के साधक और बाधक पहलु

गतिविधि 2: सहभागियों से सशक्तिकरण की राष्ट्रीय योजना पर बात करें। हैन्डआउट 3.2 ''महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति (2001) का सारांश' का प्रयोग करें। (देखें–अनुलग्नक 12 और 13)

सशक्तिकरण के साधक और बाधक पहलुओं का सार

- जेंडर समानता के सिद्धांत की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूलभूत अधिकारों, मूलभूत कर्तव्यों और दिशासूचक सिद्धांतों में प्रतिष्ठा
- योजना का लक्ष्य महिलाओं के लिए उन्नति, विकास और सशक्तिकरण लाना है।
- फैसले लेने, स्वास्थ्य की देखभाल, स्तरीय शिक्षा, कैरियर और रोजगार के लिए मार्गदर्शन, उचित पारिश्रमिक और संरक्षा तथा सुरक्षा के समान अवसर दिलाना।
- विकास के दौर में जेंडर से जुड़े मुद्दों को मुख्यधारा में लाना; महिलाओं के साथ होनेवाले हर तरह के भेदभाव के खिलाफ कानून को मजबूत करना।
- महिलाओं को घर दिलाने से जुड़ी योजनाओं, बैंक अकांउट खुलवाना, अलग–अलग योजनाओं में रोजगार के अधिकार और अवसर देना।

सत्र 3.2 : हर स्तर पर फैसले लेने में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना

सत्र के मुख्य बिन्दु

- फैसले लेने के अलग–अलग आयाम
- फैसले लेने में महिलाओं का समावेश

सामान्य परिचयः शासन में फैसले लेने की अहम भूमिका है। लेकिन जेंडर की पारंपरिक भूमिका की वजह से महिला नेताओं को और असमान जेंडर संबंधों इन दोगुनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह सत्र फैसले लेने की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है और इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव देता है।

सहभागियों का ध्यान सत्र के मुख्य बिन्दुओं पर डालें।

निर्णय–प्रक्रिया

गतिविधि 1ः

1. सहभागियों से पूछें कि, महत्वपूर्ण घरेलु मामलों में फैसले कौन लेता है?
2. उन्हें इस बात की पहचान करने को कहें कि खास गतिविधियों/मुद्दों/महत्वपूर्ण मामलों में घर के सदस्यों में कौन–कौन फैसले लेते हैं?
3. फैसले लेने के मुद्दे पर सभी की राय इकट्ठा कर उसका संश्लेषण करें और सुसंगत व्याख्या करें।

हैण्डआउट 3.3 ''निर्णय–प्रक्रिया के चरण'' का प्रयोग करें। (संदर्भ–अनुलग्नक 14)

सभी स्तर पर फैसले लेने में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के विषय का सार संक्षेप

- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें
- महिलाओं को प्रथम पंक्ति में बैठने के लिए प्रेरित करें साथ ही उनकी राय पूछें और उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करें।
- ग्राम सभा सहित विभिन्न बैठकों में पुरुष एकाधिकार हतोत्साहित करने की दृष्टि से महिलाओं के प्रतिभाग और अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करें।

- समस्याओं की पहचान कर उसे स्पष्ट करें। (यह निर्णय प्रक्रिया में सबसे मुश्किल और नाजुक चरण है।)
- आरोप– प्रत्यारोप या अपराध–बोध जैसी स्थिति से बचें। अगर आपने एक बार फैसला ले लिया तो उसपर कायम रहें। आप महसूस करें कि आपने जो फैसला लिया है वो पूरी तरह सही है।

प्रतिभागी खेलः फैसले लेने में महिलाएं

गतिविधि 2: खेल को समझाएं। हैण्डआउट 3.4 ''ज्यादा से ज्यादा जीतना''। उन्हें खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित करें और उन्हें इस बात को समझाएँ कि कैसे सामूहिक रूप से लिए गए फैसले बेहतर परिणाम देते हैं।

सत्र 3.3: संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण बढ़ाना

सत्र के मुख्य बिन्दु

- जेंडर समानता के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक वचनबद्धता एवं सुविधाओं और व्यावसायिक एवं आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने में महिलाओं के अधिकार।
- संसाधनों तक पहुँच के महत्व संबंधी उद्धरण।

सामान्य परिचयः शासन क्षमता के लिए सुविधाओं को बढ़ाना और संसाधनों को काबू में करना बेहत जरूरी है। जेंडर संबंधों में असमानता की वजह से महिलाओं में यह क्षमता कम होती है। इस सत्र तक पहुँच बढ़ाने और उनपर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतियों पर चर्चा होगी।

सहभागियों का ध्यान सत्र के मुख्य बिन्दुओं पर डालें।

जेंडर समानता के लिए वचनबद्धता

गतिविधि 1:

सहभागियों को संसाधनों तक पहुँच और उनपर नियंत्रण रखने के बारे में बताएँ।

संसाधनों की सूची बनाएँ और उन संसाधनों पर नियंत्रण कैसे रखें? उसके बारे में चर्चा करें।

इन सुविधाओं को बढ़ाने और संसाधनों को काबू में करने में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने संबंधी कानूनों और योजनाओं पर बातचीत करें। हैण्डआउट 3.5 ''जेंडर समानता और महिला अधिकारों के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता'' का प्रयोग करें। चर्चा आयोजित करें और व्याख्या करें। (संदर्भ–अनुलग्नक 15)।

सहभागियों से बातचीत का इन मुद्दों पर समापन करें–

- संसाधनों तक पहुँच में, लैंगिक असमानता के कारण शिशु मृत्युदर रोकने में, जनन क्षमता में रुकावट आ सकती है तथा अगली पीढ़ी की शिक्षा के प्रसार में कमी आ सकती है।
- जमीन, घर और संपत्ति पर पहुँच में महिलाएं भेदभाव का सामना करती हैं।
- महिलाओं को हर तरह के व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में पहुँच होनी चाहिए। उसमें बचत योजना, इंश्योरंस, रकम भेजने की सुविधा और जमा करने की सुविधा शामिल है।
- सामाजिक स्तर के चार बिन्दु–सभी बच्चों के लिए आय की गारंटी, गरीबों और बेरोजगारों के लिए बुनयादी सुविधा/सामाजिक सहयोग की गारंटी, बुजुर्गों और अपाहिजों या अपंगों के लिए आय की गारंटी और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा।

याद रखने योग्य बिन्दु

- समाज में महिलाओं पर होनेवाले भेदभाव के मामले में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि जागरूकता फैला सकती हैं और जेंडर समानता को बढ़ावा दे सकती हैं।
- ये संभव है कि जेंडर असमानता को कानून और योजनाओं का समर्थन देकर खत्म किया जाएए।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं व्यावहारिक बदलाव और नेतृत्व की भूमिका के लिए मिसाल पेश कर सकती है।
- महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य केवल जेंडर समानता लाना नहीं बल्कि हर क्षेत्र में महिलाओं का विकास करना है।
- महिलाओं की जेंडर भूमिका ''गैर–पारंपरिक' करने के साथ–साथ उनके कार्यक्षेत्र में भी बदलाव लाने पर ध्यान देना होगा।
- जेंडर समानता में बदलाव लाने में संसाधनों की सुविधा उपलब्ध कराना एक मूल बिन्दु है।

- जेंडर समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण, समान और निरंतर आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए व्यावसायिक और आर्थिक संसाधनों में बराबरी की हिस्सेदारी और उसे काबू में रखना जरूरी है।
- फैसले लेने वाले पदों पर महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व कई अहम संस्थाओं में सार्थक प्रभाव डालने में महिलाओं के लिए बाधक होता है।

मॉडयूल का सारांश

किसी भी क्षेत्र और स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं, जिसमें उसके कानूनी पहलु, योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं; को लागू करते समय जेंडर के महत्व को ध्यान में रखें। यह महिलाओं के साथ–साथ पुरुषों को भी सभी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दायरे में लागू की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा, आशय, देखभाल और उसके आकलन को पेश करता है ताकि महिला और पुरुष समान रूप से लाभान्वित हों और असमानता किसी भी तरह से बाधक न बने। महिला सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य जेंडर समानता प्राप्त करना है।

महिला सशक्तिकरण के तत्व हैं–घरेलु और सामाजिक स्तर पर आत्मसंवेदी बनाना, कानून और योजनाओं का लागू करना, हर स्तर पर महिलाओं द्वारा फैसले लेने की क्षमता बढ़ाना, महिला और महिला सशक्तिकरण के संसाधनों तक पहुँच बढ़ाना।

महिला सशक्तिकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए सरकारी प्रयास–

- सामाजिक संगठनात्मक योजनाओं का लक्ष्य समाज में महिलाओं और लड़कियों के जीवन स्तर और महत्व को बेहतर बनाना है।
- कानून में सुधार से महिलाओं और लड़कियों को समान सुरक्षा और अधिकार मिलते हैं।
- महिलाओं के लिए नेतृत्व संबंधी प्रशिक्षण आयोजित करना। जिससे पारंपरेतर क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बाधाओं को दूर किया जा सके।

निर्णय प्रक्रिया में मुख्य विचारः

- लिए जानेवाले फसेलों के साथ–साथ आप अपने लक्ष्य के उद्देश्य या परिणाम की पहचान करें।
- दिया गया काम करें। अपनी पसंद को लागू करने के लिए ज्यादा–से–ज्यादा तथ्य और सूचना को इकट्ठा करें।
- अलग–अलग संभावित विकल्प रखें और उन पर विचार करें।
- परिणामों की संभावना या संभाव्य परिणामों की तलाश करें।

- अच्छे और बुरे, दोनों पहलुओं की सूची बनाएं। आपके लिए कौन सा विचार अधिक महत्वपूर्ण और कौन सा कम महत्वपूर्ण है इसकी प्राथमिकता तय करें।
- लोगों से विचार इकट्ठा करें और जिन पर आप भरोसा करते हैं एवं जिन्होंने समान परिस्थिति का सामना किया है उनकी राय लें। इससे कई ऐसी बातें निकल कर सामने आएंगी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा।
- फैसले लें और परिणामें का आकलन करें। यह भी तय करें कि क्या आपने परिलक्षित परिणाम हासिल किया है जिनसे महिलाओं के लिए सुविधाएँ बढ़ाकर, संसाधनों पर नियंत्रण रखकर शिशु मृत्युदर और महिलाओं से जुड़ी दूसरी समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। व्यावसायिक और आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने से महिलाओं के विकास में मदद मिलती है।

तीन स्तरों पर होनेवाले महिला सशक्तिकरण के सूचक–

1. परिवार में, कठिन फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और घेरलू काम में पुरुषों का सहयोग।
2. कार्यस्थल पर, महिलाओं से जुड़ी संस्थाओं की संख्या बढ़ाना और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए निधि दिलाना।
3. राष्ट्रीय स्तर पर, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक करना और विकास कार्यक्रमों के लिए उन्हें एकजुट करना। महिलाओं के विकास में अवसर और मदद

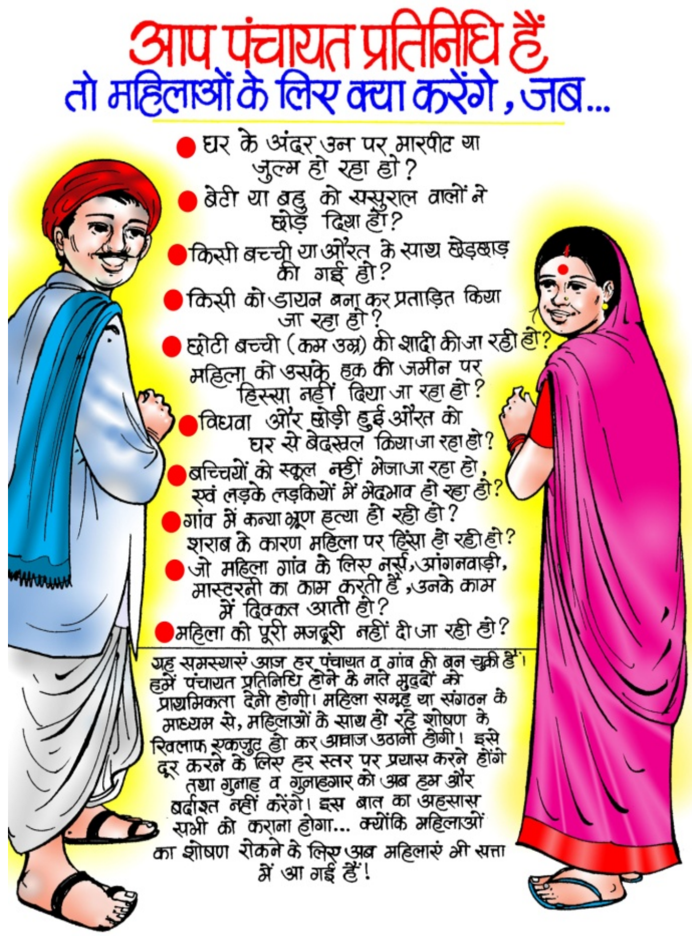

मिलने में असमानता बाधक बनती है लेकिन इसे महिलाओं के सशक्तिकरण से कम किया जा सकता है।

© इक्विटी फाउन्डेशन

मॉडयूल 4

विकास योजनाएँ और बजट की रूपरेखा

जन वितरण प्रणाली का अनुश्रवण अब मुखिया के जिम्मे

पिछले मॉड्यूल्स में महिलाओं के सशक्तिकरण की अवधारणा पर कई मुद्दों में चर्चा हुई। जैसे–समाज को जागरुक बनाना, कानून और योजनराओं को लागू करना, जेंडर असमानता को कम करना और महिला सशक्तिकरण आदि। समाज के मौजूदा हालात में समुदायों को ध्यान में रखकर विकास योजनाओं को लागू करने की दो सीढ़ियां हैं – विकास कार्यक्रम और स्थानीय संस्थाएं। इसलिए इस मॉड्यूल में विकास कार्यक्रमों को चलाने में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका की समीक्षा की जा रही है। विशेषकर इन विकास कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी बात होगी। इस मॉड्यूल में इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि किस तरह महिला प्रतिनिधियों को जेंडर आधारित योजना और बजट बनाने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाए। यह मॉड्यूल विस्तृत विकास में जेंडर संबंधी मुद्दों के महत्व को बतलाता है और इसी मुद्दे पर बातचीत के साथ इस मॉड्यूल का समापन होगा।

उद्देश्य

1. जागरुकता के लिए चलाए जानेवाले बड़े विकास कार्यक्रमों को मजबूती देना और इनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट करना।
2. मानव विकास और सहस्राब्दि विकास इन लक्ष्यों के संदर्भ में जेंडर आधारित विकास पर चर्चा।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर जेंडर को ध्यान में रखकर बजट बनाने और जेंडर आधारित योजना की अवधारणा और पद्धति को विस्तार से बताना।

सत्र की योजना (4 सत्र, 360 मिनट)

सत्र	सत्र शीर्षक	उप–अध्याय	अपेक्षित परिणाम	प्रशिक्षण पद्धति	प्रशिक्षण सामग्री
4.1	विकास कार्यक्रम और उसमें पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका	बड़े विकास कार्यक्रम और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका ● एसएसए ● आरटीई ● आईसीडीएस ● एनआरएचएम ● आईएवाई ● मनरेगा ● एनआरएलएम ● संपूर्ण स्वच्छता अभियान (पीने के	सहभागियों को इस बात की जानकारी देना कि बड़े विकास कार्यक्रमों को किस तरह से लागू किया जाए और उसमें पंचायती राज संस्थाओं और महिलाओं की क्या खास भूमिका हो।	● मंचन ● प्रतिभागियों के साथ चर्चा, विचार–विमर्श ● चार्ट और प्रस्तुतियों के माध्यम से राय लेना	● प्लेन चार्ट और मार्कर पेन

		पानी सहित) ● वीएचएसएनसी			
4.2	जेंडर आधारित विकास	● मानव विकास ● एमडीजी, जीडीआई और जीईएम	सहभागियों को एचडीआई, एमडीजी, जीडीआई और जीईएम की अवधारणा को स्पष्ट जानकारी देना।	सहभागियों की राय लें और उनके लिए संबंधित मुद्दे पर बातचीत जैसा एक व्याख्यान रखें	फ्लिप चार्ट और मार्कर
4.3	विकास कार्यक्रम और बजट की रूपरेखा में महिलाओं को महत्व देना	● जेंडर के आधार पर बजट बनाना ● जेंडर लेखापरीक्षा और जेंडर के प्रभाव का आकलन	सहभागियों को उसके इलाके में चल रहे जेंडर आधारित विकास योजनाओं के बारे में ज्ञान और उसकी तकनीक के बारे में पता हो जाए और उन्हें जेंडर आधारित बजट बनाने की प्रक्रिया, जेंडर लेखापरीक्षण और जेंडर प्रभाव के आकलन की जानकारी होनी चाहिए	● राय लेना ● सहभागियों को समझाकर उन्हें सही राय देना	● सभी अवधारणाओं पर हैन्डआउट
4.4	पंचायत स्तर पर जेंडर को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना और बजट की रूपरेखा तैयार करना	● पारदर्शिता ● पंचायती राज संस्थाओं में जेंडर आधारित योजना और बजट बनाना	प्रतिभागी ग्राम पंचायत की योजना और उसके बजट को जानने में सक्षम हो सके	● छोटे समूहों में बातचीत आयोजित करना ● समूह चर्चा एवं विचार विमर्श	● फ्लिप चार्ट और मार्कर

प्रशिक्षकों के लिए सुझाव

- सहभागियों को विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना और उन्हें कार्यक्रम की दूरदर्शिता, योजना और बजट के बारे में बताना। ये सारी जानकारी सहभागियों को जेंडर संबंधी मुद्दों को ध्यान में रख कर दें।
- यहां पर कुछ अभ्यास और उदाहरण महत्वपूर्ण हैं।

सत्र 4.1 : विकास कार्यक्रम और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

सत्र के मुख्य बिन्दु

- विकास कार्यक्रम और उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

सामान्य परिचयः विकास कार्यक्रम ग्रामीण समाज को प्रभावति करते हैं। इस सत्र में हम कुछ विकास कार्यक्रमों की बात करेंगे, साथ ही उन कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर भी बात करेंगे।

सहभागियों को ध्यान सत्र के मुख्य बिन्दुओं की ओर खींचे।

समन्वित विकास योजनाएँ

गतिविधि 1ः

दूरदर्शिता का परिचय दें। सामाजिक दायरे में विकास कार्यक्रमों और स्थानीय संगठनों को मूल सीढ़ी के रूप में दिखाएं।

सहभागियों से पूछें कि वे किन विकास कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं, उनकी राय इकट्ठी करें और बड़ी विकास योजनाओं को सूचीबद्ध करें।

इसके बाद, 5–6 प्रतिभागियों से उनके गांव में चल रहे विकास कार्यक्रमों से संबंधित एक दृश्य मंचित करने के लिए कहें। (तैयारी के लिए उन्हें 10 मिनट का समय दें)

इन विकास कार्यक्रमों (उदाहरण के तौर पर मनरेगा) को लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है?

इन कार्यक्रमों के क्या लाभ है? यह किस तरह से महिलाओं को लाभान्वित करते हैं?

विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं?

दृश्य का मंचन समाप्त होने के बाद मुख्य विकास कार्यक्रमों के महत्व और उनकी रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताएं।

हैण्डआउट 4.1 और 4.2 ''विकास कार्यक्रम'' और ''विभिन्न विकास कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका'' का प्रयोग करें। (देखें: अनुलग्नक 16)

विकास कार्यक्रमों को महिलाओं और बालिकाओं पर केन्द्रित करने का सार संक्षेपण

- सर्व शिक्षा अभियान
    - सातवीं कक्षा तक की सभी लड़कियों को मुफ्त किताबें:;
    - लड़कियों के लिए अलग प्रसाधन कक्ष;
    - बड़ी लड़कियों के लिए अलग से कक्ष का इंतजाम;
    - 50 प्रतिशत महिला शिक्षिकों की जरूरत;
    - प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए शिक्षा से जुड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम;
    - कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबी)।
- शिक्षा का अधिकार
    - जेंडर को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा;
    - जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं, उन्हें बुनियादी शिक्षा देना;
    - शिक्षा सफल, उपलब्ध, स्वीकार्य और ग्राह्य जरूर हो।
- समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)
    - महिलाओं और बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण, स्वास्थ्य की जांच और परामर्श की सुविधा एवं स्कूली पढ़ाई से पहले अनौपचारिक शिक्षा;
    - महिलाओं और किशोरियों के लिए पालन–पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)
    - ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों समेत सभी को प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराना, खास तौर पर उन लोगों को जो इन सुविधाओं से दूर हैं;
    - प्रत्येक गांव में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएसएचए) का इंतजाम;
    - सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाकर बेहतर सेवा प्रदान करना, समानता को बढ़ाना और विकेन्द्रीकरण की जवाबदेही तय करने के साथ–साथ उसे बढ़ावा देना।
- इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)
    - लाभान्वित परिवारों की महिला सदस्य के नाम से मकानों का आवंटन;
    - इंदिरा आवास योजना के तहत बनाये गये मकानों में आवश्यक रूप से शौचालय का निर्माण;
    - प्रत्येक घर में धुआँरहित चूल्हे का इंतजाम करना।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीयय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए)
    - महिलाओं एवं पुरुषों को एक समान मजदूरी देना;
    - मनरेगा के तहत रोजगार पानेवालों में कम–से–कम एक तिहाई महिलाएं हों;
    - जहां काम हो रहा हों, वहां पीने के पानी, छाया आदि का इंतजाम करना।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
  - आजीविका की समस्या दूर करने की उपाय योजना में महिला और पुरुष समूह बनाएँ जाए। इस व्यवस्था की शुरूआत महिलाओं और दूसरे उपेक्षित एवं असुरक्षित समूहों से करें। जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपांग एवं वृद्ध शामिल हो।
- संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)
  - स्कूलों को पानी की सप्लाई, शौचालय और हाथ धोने की सुविधा प्रदान करना;
  - स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय का इंतजाम।
- ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी)
  - ग्राम पंचायत की ऐसी समिति जो स्वास्थ्य, स्वच्छता, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस से जुड़ी गतिविधियों की योजना बनाएँ और उनकी देखरेख करें।
- विकास कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का सार
  - ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर इलाके के विकास क्षेत्र की पहचान करना;
  - विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता फैलाना;
  - महिलाओं के विकास के लिए समाज को एकजुट करना;
  - स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों की योजना को मंजूरी;
  - लाभान्वितों की पहचान करनाद्ध
  - कार्यक्रमों को लागू करना और उसकी देखरेख करना।

सत्र 4.2 : जेंडर आधारित विकास

सत्र के मुख्य बिन्दु

- मानव विकास
- सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी), जेंडर विकास के सूचकांक (जीडीआई) और जेंडर सशक्तिकरण के माप (जीईएम)

सामान्य परिचयः देश या राज्य के विकास की समीक्षा में मानव विकास और जेंडर के विकास के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। इस सत्र में इन्हीं आंकड़ों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ स्थानरीय विकास पर योजना बनाने के लिए इनका प्रयोग कैसे किया जाए, इसकी भी जाँच पड़ताल होगी।

सहभागियों का ध्यान सत्र के मुख्य बिन्दु की ओर खींचे।

मानव विकास (एचडी) और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)

गतिविधि 1ः

प्रतिभागियों से पूछे कि मानव विकास, मानव विकास सूचकांक और मानव विकास सूचकांक के कारक क्या है?

बोर्ड पर प्रतिभागियों की राय लिखें। इसके बाद अपनी राय दें।

हैण्डआउट 4.3 ''मानव विकास और मानव विकास सूचकांक'' का प्रयोग करें। (देखें–अनुलग्नक 17)

मानव विकास और मानव विकास सूचकांक का सार

- सार की उत्पादकता, रचनात्मकता और आय विकास ही मानव विकास है।
- मानव विकास की सूचकांक मानव विकास का माप है।
- मानव विकास का सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और आय इन तीन चीजों का संयुक्त सूचकांक है।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी), जेंडर विकास के सूचकांक (जीडीआई) और जेंडर सशक्तिकरण के माप (जीईएम)

गतिविधि 1:

प्रस्तुति या सहभागियों द्वारा तैयार किए गए फ्लिप चार्ट के माध्यम से प्रशिक्षकों को एमडीजी, जीडीआई और जीईएम की अवधारणा को समझाना चाहिए।

हैण्डआउट 4.4 ''सहस्राब्दि विकास के लक्ष्य (एमडीजी) क्या है? और हैण्डआउट 4.5 ''जेंडर विकास सूचकांक (जीडीआई) और जेंडर सशक्तिकरण आकलन (जीईएम)'' का प्रयोग करें।

एमडीजी, जीडीआई और जीईएम का सार

- एमडीजी का उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक हालात को बेहतर बनाकर दुनिया भर के सबसे गरीब देशों में विकास को प्रोत्साहित करना।
- ये आठ एमडीजी हैः

  लक्ष्य 1 – अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन

  लक्ष्य 2 – वैश्विक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना

  लक्ष्य 3 – जेंडर समानता को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को अधिकार–संपन्न बनाना

  लक्ष्य 4 – शिशु मृत्यु दर कम करना

  लक्ष्य 5 – माताओं के स्वास्थ्य को बेहतर करना

  लक्ष्य 6 – एचआईवी एड्स, मलेरिया और दूसरी बीमारियों से बचाव,

  लक्ष्य 7 – पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना

  लक्ष्य 8 – विकास के लिए वैश्विक सहभागिता को विकसित करना

- जीडीआई और जीईएम बनाने के पीछे अवधारणा थी कि विकास योजनाओं, योजना बनाने और जेंडर के प्रभाव के आकलन के माध्यम से ज्यादा–से–ज्यादा जेंडर से जुडे मुद्दों पर जोर दिया जा सके।

सत्र 4.4 : पंचायत स्तर पर जेंडर आधारित योजना और बजट बनाना

सत्र के मुख्य बिन्दु

- दूरदर्शिता
- पंचायती राज संस्थाओं में जेंडर आधारित योजना और बजट बनाना

सामान्य परिचयः इस सत्र में प्रतिभागी, ग्राम पंचायत स्तर पर जेंडर आधारित योजना और बजट बनाने की प्रक्रिया के लक्ष्य और उसकी रूपरेखा को समझेंगे।

प्रतिभागियों का ध्यान सत्र के मुख्य बिन्दुओं की ओर आकर्षित करें।

पंचायत, गांव और वार्ड स्तर पर दूरदर्शिता

गतिविधि 2 :

प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांटे। उन्हें अपनी ग्राम पंचायत और समुदाय में होनेवाली उन बातों पर मंचन करने को कहें, जो उनके समुदाय और ग्राम पंचायत के लिए जेंडर की बेहतरी से जुड़े हुए हों। उन्हें मौजूदाहालात को बताने दें और उससे ठीक उलट हालात को भी बताएं। इसके बाद लक्ष्य को पाने के लिए बनाई गई योजना और उसकी रूपरेखा के बारे में सहभागियों को बताएं ताकि वे लक्ष्य को बेहतर तरीके से समझ सकें। हैंडआउट 4.10 'दूरदर्शिता' का प्रयोग करें।

दूरदर्शिता का सार

- लक्ष्यः जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से जुड़ा होना चाहिए। खासतौर पर इसमें यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और समाज के लाभ से वंचित वर्ग की भागीदारी हो।
- स्थानीय स्तर पर जो लक्ष्य बनाए जाएं, उनमें स्थानीय स्तर की प्रमुखता और उसकी व्यावहारिकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। साथ ही उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), स्कूल जैसे स्थानीय संस्थाओं से जोड़ना चाहिए, जो कि तय प्राथमिकताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- पांच से पंद्रह साल की योजना तैयार करना।
- लक्ष्य, लंबे समय तक टिकाऊ रहें, इस पर नजर रखना

पंचायती राज संस्थाओं में जेंडर आधारित योजना और बजट बनाना

गतिविधि 2: पंचायती राज संस्थाओं में जेंडर आधारित योजना और बजट पर प्रतिभागियों के साथ सामान्य तरीके से बातचीत करें। पंचायत स्तर पर जेंडर आधारित योजना और बजट पर प्रतिभागियों के साथ सामान्य तरीके से बातचीत करें। पंचायत स्तर पर जेंडर आधारित योजनाओं की रूपरेखा के बारे में बताएं। इसके अलावा ब्लॉक और जिला स्तर पर भी इसकी रूपरेखा को समझाएं।

हैंडआउट 4.11 'जेंडर आधारित योजनाएँ और बजट बनाना' का प्रयोग करें।

पंचायती राज संस्थाओं में जेंडर आधारित योजना और बजट का सार

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है।
- पंचायत द्वारा तय की गई सभी क्षेत्रों की योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है।
- योजना की रूपरेखा।
- ळालात का जायजा लेना या स्थिति विश्लेषण।
- विकास के लिए प्रगतिशील क्षेत्र और जेंडर–सापेक्ष लक्ष्य।
- गांव की जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान करना
- जरूरतें और प्राथमिकताएँ ग्राम सभा (महिलाओं की एक–तिहाई भागीदारी जरूरी) के द्वारा तय की जाएँगी।
- संसाधनों की सूची तैयार करना।
- ग्राम सभा के जरिए समुदाय स्तर पर योजना बनाना।
- गांव के स्तर पर चल रही योजना को बोर्ड की योजनाओं के साथ जोड़ना।
- गांव की योजनाओं को ग्राम पंचायत की तकनीकी और आर्थिक प्रस्तावों में बदलना।

बजट बनाना

- बजट मुख्य रूप से किसी संस्थान की अनुमानित कुल प्राप्तियों एवं व्यय का लिखित ब्यौरा होता ह।
- ग्राम पंचायत के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया
- ग्राम पंचायत की प्राप्तियों की गणना करना
- बाहरी संसाधनों की पहचान करना
- अंदरूनी संसाधनों की पहचान करना
- सभी माध्यमों और योजनाओं से होनेवाले आय को इकट ठा करना

- योजना से जुड़ी जानकारी को यूनिट के आधार पर अलग अलग करना
- **हैंडआउट 4.14 में सारणी का इस्तेमाल करें।**

नोट–पंचायती राजय संस्थाओं की छोड़ी इकाई के लिए चलाई जा रही योजना के आधार पर ब्लॉक/जिला स्तर पर योजना और बजट तैयार करना।

कार्यान्वयन

विकास योजनाओं का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए मगर यह संभव न हो तो स्थानीय संस्थाओं का निजी ठेकेदारों से करवा लें।

निगरानी और आकलन

- ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी का काम किया जाएगा। यह इस बात की निगरानी करेगा कि योजना के अनुसार विकास का काम हो रहा है या नहीं
- सामाजिक लेखापरीक्षा – विकास योजना की प्रगति की लेखापरीक्षा और समुदाय द्वारा ग्राम सभा स्तर पर उसकी स्वीकृति।
- योजना के अनुसार परिणाम का आकलन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। यहां दिए गए बजट की उपलब्धियों और उसके उपयोग का आकलन किया जाएगा।

याद रखने योग्य बिन्दु

- विकास योजनाओं की अच्छी समझ गांव के बेहतर विकास में मददगार होती है।
- जेंडर की जरूरतों को समझने के लिए जेंडर आधारित योजना जरूरी है।
- विकास योजना की रूपरेखा से लेकर उसके आकलन तक की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है।
- जेंडर आधारित योजनाओं के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका अहम है।

गृह कार्य

- स्वास्थ्य, शिक्षा या आर्थिक मुद्दों में से किसी एक क्षेत्र की पहचान करें।
- चुने गए क्षेत्र से जुड़े सभी कार्यक्रमों की सूची बनाएं।
- चुने गए क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की जेंडर संबंधी सभी जरूरतों की पहचान करें। साथ ही इस बात की जांच करें कि इन जरूरतों को विकास कार्यक्रम कितना पूरा करता है।
- योजनाओं से जुड़े इन मुद्दों पर पंचायत की बैठक में बात करें। इस पर भी बात करें कि कैसे पंचायत योजना की कमियों को दूर किया जा सकता है।

मॉड्यूल का सार

ज्यादातर का विकास कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, रोजगार और बेहतर रहन–सहन से जुड़े हैं। सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार बच्चियों और समाज के कमजोर तबके के लिए शिक्षा पर केन्द्रित हैं। स्वास्थ्य एनआरएचम के तहत आता है और इसका प्रभाव महिलाओं के काम करने की क्षमता पर पड़ता है। गर्भवती और कमजोर महिलाओं के लिए ग्रामीण स्तर पर एएसएचए (आशा) काम करती है। इसी प्रकार, रोजगार के लिए मनरेगा और एनआरएलएम सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब (जिसमें महिलाओं पर जोर हो) लोगों के लिए है।

विकास कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

- कार्यक्रमों से जुड़ी जागरूकता निर्माण करना
- कार्यक्रमों के तहत जरूरतमंदों की पहचान करना और ग्राम सभा से उसकी अनुमति लेना
- बेहतर तरीके से योजना बनाना और उसके कार्यान्वयन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना
- योजना लगू करना और उसकी प्रगति की निगरानी करनरा
- सर्वसमावेशी योजना बनाना और उसके कार्यान्वयन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना

गांव के विकास के लिए पंचायती राज संस्थान और स्थानीय संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। जो स्थानी संस्थाएं, संबंधित विभाग और दूसरे निजी संस्थान विकास के काम करते हैं वे पंचायती राज संस्थाओं के सहयोगी होते हैं। बेहतर विकास के लिए लोगों की भागीदारी, खासकर महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। सभी मौजूद संस्थानों के साथ मिलकर काम करने से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

मानव विकास सूचकांक तीन चीजों स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का मिला जुला सूचकांक है। हम सहस्राब्दि विकास के आठ लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध है। जेंडर आधारित विकास को मापने के लिए जेंडर विकास सूचकांक और जेंडर सशक्तिकरण के माप हैं, जो महिलाओं के विकास की साफ–सुथरी छवि देता है और योजना बनाने में भी मदद करता है।

जेंडर आधारित बजट बनाना। यह महिलाओं के विकास के लिए बजट प्रदान करता है, जिससे महिलाओं के विकास में मदद मिले। जेंडर आधारित बजट, सार्वजनिक संसाधनों के संग्रहण और संवितरण की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से करने में महिलाओं में सशक्तिकरण और जेंडर समानता में मदद मिलती है। जेंडर आधारित बजट के प्रभावी उपयोग को जेंडर संबंधी लेखापरीक्षा सुनिश्चित करता है। जेंडर आधारित बजट के प्रभाव को जानने में जेंडर के प्रभाव का आकलन मदद करता है।

गांव के स्तर पर प्राथमिकताओं को ग्राम सभा तय करती है और पंचायत की योजनाओं के तकनीकी और आर्थिक सर्वेक्षण के बाद उसके कार्यान्वयन की प्राथमिकता भी तय करती है। ग्राम सभा योजना को मंजूरी देती है, निधि या धनराशि के लिए योजना पर आधारित प्रस्ताव को ब्लॉक और जिला पंचायत के पास ग्राम सभा भेजती हैं, साथ ही और/या जिला एजेंसियों/संबंधित विभाग को भी प्रस्ताव भेजती है। निधि या मदद की राशि के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक और निजी संस्थाएं ही माध्यम हैं। अगर विकास का काम जरूरी हो तो कई बार ग्राम पंचायत ग्रामीणों से भी निधि या मदद की राशि जुटाती है। पारदर्शिता के लिए ग्राम सभा निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षण का काम करती है। साथ ही ग्राम पंचायत के बेहतर रखरखाव/कार्यान्वयन/मार्गदर्शन का भी काम करती है।

© इक्विटी फाउन्डेशन